क्रम-संख्या—206

रजि० नं० एल. डब्लू. /एन. पी. 890

लाइसेन्स नं० डब्लू. पी०–41

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 5 सितम्बर, 2005

भाद्रपद 14, 1927 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग–1

संख्या 1034/सात-वि-1—1(क)-23-2005

लखनऊ, 5 सितम्बर, 2005

अधिसूचना

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश क्रीड़ा (संघों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2005 पर दिनांक 2 सितम्बर, 2005 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22 सन 2005 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश क्रीड़ा (संघों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2005

(उत्तर प्रदेश आधीनेयम संख्या 22 सन् 2005)

जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश क्रीड़ा (संघों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) अधिनियम, 2005 का संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश क्रीड़ा (संघों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2005 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन् 2005 की धारा 1 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश क्रीड़ा (संघों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 1 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात :–

संक्षिप्त नाम

"1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश क्रीड़ा (संघों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) अधिनियम, 2005 कहा जायेगा।"

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश राज्य में क्रीड़ा संघों के रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन का उपबन्ध करने और क्रीड़ा संघों के क्रियाकलापों और कार्य-कलापों को सुकर बनाने और विनियमित करने की व्यवस्था करने के लिए उत्तर प्रदेश क्रीड़ा (संघों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) अधिनियम, 2005 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन् 2005) अधिनियमित किया गया है। रिट याचिका क्रिकेट संघ और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (रिट याचिका संख्या 30545/2005) और प्रेमधर पाठक बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (रिट याचिका संख्या 30546/2005) में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद, द्वारा उक्त अधिनियम के प्रवर्तन को स्थगित कर दिया गया है। जैसा कि अधिवक्ताओं द्वारा राज्य सरकार के संज्ञान में लाया गया है, याचियों की मुख्य आपत्ति उक्त अधिनियम को भूतलक्षी प्रभाव से प्रारम्भ किए जाने पर है। अतएव यह विनिश्चय किया गया कि उक्त अधिनियम को संशोधित कर उसके प्रारम्भ होने के दिनांक को 11 अक्टूबर, 2004 से बदलकर अधिनियम के प्रकाशन के दिनांक से कर दिया जाये।

तद्नुसार उत्तर प्रदेश क्रीड़ा (संघों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2005 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
धर्म वीर शर्मा,
प्रमुख सचिव।

No. 1034/VII-V-1—1(Ka)-23-2005

Dated Lucknow, September 5, 2005

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Krida (Sanghon Ka Registrikaran, Manyata Aur Viniyaman) (Sanshodhan) Adhiniyam, 2005 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 22 of 2005) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on September 2, 2005.

THE UTTAR PRADESH SPORTS (REGISTRATION, RECOGNITION AND REGULATION OF ASSOCIATIONS) (AMENDMENT) ACT, 2005

(U.P. ACT NO. 22 OF 2005)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

to amend the Uttar Pradesh Sports (Registration, Recognition and Regulation of Associations) Act, 2005

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-sixth Year of the Republic of India as follows:–

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Sports (Registration, Recognition and Regulation of Associations) (Amendment) Act, 2005.

Amendment of section 1 of U.P. Act no. 15 of 2005

2. *For* section 1 of the Uttar Pradesh Sports (Registration, Recognition and Regulation of Associations) Act, 2005 the following section shall be *substituted*, namely :–

Short title

"1. This Act may be called the Uttar Pradesh (Registration, Recognition and Regulation of Associations) Act, 2005."

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Sports (Registration, Recognition and Regulation of Associations) Act, 2005 (U.P. Act no. 15 of 2005) has been enacted to provide for registration, recognition and regulations of Sports Associations and to facilitate the activities and affairs of the Sports Associations in the State. In the writ petition Cricket Association and Others *Versus* the State of Uttar Pradesh (writ petition no. 30545/2005) and Premdhar Pathak *Versus* the State of Uttar Pradesh (writ petition no. 30546/2005) the Hon'ble High Courts of Judicature at Allahabad has stayed the operation of the said Act. The petitioners main objection, as has been brought to the notice of the State Government by the Advocates, is on the restrospective commencement of the said Act. It has, therefore, been decided to amend the said Act to change the commencement of the said Act from October 11, 2004 to the date of publication of the Act.

The Uttar Pradesh Sports (Registration, Recognition and Regulation of Associations) (Amendment) Bill, 2005 is introduced accordingly.

By order,

D.V. SHARMA

Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 423 राजपत्र (हि०)–6.9.2005–(875)–597 प्रतियां–(कम्प्यूटर / आफ़सेट)।

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 82 सा० विधायी–6.9.2005–(876)–850 प्रतियां–(कम्प्यूटर / आफसेट)।